न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– सुनिल कुमार, आर.ए.एस. राजस्व वाद संख्या– 10 / 2022

वादीगण–

1. राजूराम पुत्र हरकरणराम
2. रामजीवण पुत्र हरकरणराम
   जाति– माली, निवासी–कठौती ,तहसील–जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. हरकरणराम पुत्र खींवराज
2. सोहनी देवी पुत्री हरकरणराम
3. शांति पुत्री हरकरणराम
4. सुमनदेवी पुत्री हरकरणराम
   जातियान–माली, निवासी– कठौती, तहसील जायल जिला नागौर।
5. तहसीलदार जायल।

दावा बाबत बंटवाडा खेताय एवं रेकर्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री शिवकुमार पाराशर अधिवक्ता वादी।
2. प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकार उपस्थित

– निर्णय –

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

दिनांक: 13/8/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी तथा प्रतिवादीगण सं. 2 से 4 प्रतिवादी सं. 1 के पुत्र व पुत्रिया है। तथा सभी स्वं. खीवराज के वारिसान है। वादी एंव प्रतिवादीगण के पुश्तैनी बडेर के सह कब्जे काश्त एवं खातेदारी के ख.न. 211 मौजा कठौती में आया हुआ है। खेताय पर पक्षकारों का सुविधानुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में माफिक कब्जा काश्त अंकन नही होने से वादी को यह वाद लाना लाजमी आया है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने पुश्तैनी भूमि का राजीखुशी बंटवाडा वाद के पैरा सं. 2 में वर्णित बंटवाडा स्किम अनुसार कर अलग अलग काबिज काश्त कर लिया है।

अतः वादी एवं प्रतिवादी के मध्य जुबानी बंटवाडा कर लेने पर भी माफिक बंटवाडा राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद नही होने के उपरांत भी राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं होने से सरकारी सुविधाओ से महरूम होने से वाद उत्पन्न होने पर यह वाद पेश करना लाजमी आया है। वादी ने वाद पेश इस्तदुआ कि है कि माफिक वाद के पैरा सं. 2 अनुसार स्वीकार किया जाकर मौजा कठौती के खेत ख.न. 211 रकबा 10.9265 हेक्टेयर मे से 6.1916 हेक्टेयर दक्षिणी भाग वादी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:26:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned by Scanner Go

के हक बंट एवं खातेदारी मे रखा गया है। तथा ख.न. 211 रकबा 10.9265 हैक्टेयर मे से रकबा 4.4110 हैक्टेयर उतरी भाग तथा प्रतिवादी सं. 1 हकरणराम के हक बंट में ख.न. 211 रकबा 10.4110 हैक्टेयर मे से 0.3239 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्सानुसार खातेदारी घोषित की जाकर सादिर डिक्री फरमाया जावे तथा माफिक डिक्री आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद बाबत तहसीलदार जायल को तहरीर जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण स. 1 ता 4 ने न्यायालय के समक्ष हाजिर आकर राजीनामा पेश किया। राजीनामा बाद तस्दीक सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं.05 का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ जो परफोर्मा पक्षकार हैं।

साक्ष्य वादी में गवाह भवंराराम का शपथ पत्र पेश किया व नकल खतौनी सम्वत 207 प्रदर्श 1 तथा खेवट खतौनी प्रदर्श 2 व खसरा मिलान प्रदर्श 3 कराई । आईन्दा साक्ष्य नहीं कराना चाहने पर साक्ष्य वादी बन्द की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता वादी की बहस अन्तिम सुनी गयी। वादी के अधिवक्ता ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरूक्ति करते हुये कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी पारिवारिक बंटवाडा हो गया है तथा लोक अदालत की भावना से वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादपत्र के पेरा सं. 2 में वर्णित बंटवारा स्किम अनुसार खातेदारी घोषणा की जाकर दावा डिक्री किया जाने का निवेदन किया।

वादी के अभिकथनों तथा साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत शपथ पत्र गवाहों, पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड वादपत्र राजीनामा गवाहो के शपथ पत्र व जमाबन्दी नकल सम्वत 2073–76 प्रदर्श 1, खेवट खतौनी प्रदर्श 2 व खसरा मिलान प्रदर्श 3 का ध्यानपूर्वक एवं वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। मौजा कठौती के खेत ख.न. 211 पक्षकारान के बडेर की भूमि रही है जिसमें वादी एव प्रतिवादीगण का हक अधिकार निहित होने से वाद की ताहिद होती है। प्रतिवादीगण सं. 2, 3 व 4 ने अपना हक हिस्सा का त्याग कर रहे है, जो कि हमारी राय में मामला हक तर्क द्वारा भूमि अन्तरण की श्रेणी मे आता है। वादी द्वारा आवश्यक स्टाम्प ड्यूटि उपपंजीयक जायल के पास जमा होने पर तथा पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से लोक अदालत की भावाना से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

— : : आदेश : : —

यत् वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादी राजूराम के हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में मौजा कठौती के खेत ख.न. 211 रकबा 10.9265 हेक्टेयर मे से 6.1916 हैक्टेयर दक्षिणी भाग माफिक नजरी नक्सानुसार घोषित किया जाता है। वादी रामजीवण के हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में मौजा कठौती के ख.न. 211 रकबा 10.9265 हैक्टेयर मे से रकबा 4.4110 हैक्टेयर उतरी भाग घोषित किया जाकर प्रतिवादी [illegible]राम के हक बंट में ख.न. 211 रकबा 10.4110 हैक्टेयर मे से 0.3239 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्सानुसार घोषित किया जाता है। वादीगण के बंट मे आये खेताय मे [illegible] फिट का मध्य मे रास्ता नजरी नक्सानुसार रहेगा। तहसीलदार जायल को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण पुश्तैनी बडेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:26:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned by Scanner Go

की भूमि हक त्याग द्वारा अन्तरण का होने से आवश्यक स्टाम्प शुल्क वादी द्वारा कार्यालय उपपंजीयक जायल में जमा कराने पर अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा जारी होकर तहसीलदार जायल को आदेश की तकमील मे तहरीर जारी हो।

(सुनिल कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 31/10/22 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सुनिल कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:26:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by Scanner Go

अन्तिमडिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल (नागौर)
पीठासीन अधिकारी श्री– सुनिल कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 10/2022

वादीगण–
1. राजूराम पुत्र हरकरणराम
2. रामजीवण पुत्र हरकरणराम
   जाति– माली, निवासी–कठौती ,तहसील–जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. हकरणराम पुत्र खींवराज
2. सोहनी देवी पुत्री हरकरणराम
3. शांति पुत्री हरकरणराम
4. सुमनदेवी पुत्री हरकरणराम
   जातियान–माली, निवासी– कठौती, तहसील जायल जिला नागौर।
5. तहसीलदार जायल।

<u>दावा बाबत बंटवाडा खेताय एवं रेकर्ड दुरस्ती</u>
<u>अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थिति :–
1. श्री शिवकुमार पाराशर अधिवक्ता वादी।
2. प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकार उपस्थित

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

– : : डिक्री आदेश : : –

13/8/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री शिवकुमार शर्मा अधिवक्ता वादीग मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या संख्या 7 राज पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि –
वादी राजूराम के हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में मौजा कठौती के खेत ख.न. 211 रकबा 10.9265 हेक्टेयर मे से 6.1916 हैक्टेयर दक्षिणी भाग माफिक नजरी नक्सानुसार घोषित किया जाता है। **वादी रामजीवण के हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी** में मौजा कठौती के ख.न. 211 रकबा 10.9265 हैक्टेयर मे से रक[illegible] भाग घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी सं. 1 हकरणराम के हक बंट मे[illegible] हैक्टेयर मे से 0.3239 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्सानुसार घोषित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:26:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned by Scanner Go

दरियाप के बंट मे आये खेताव मे आने जाने हेतु पूर्व–पश्चिम मे 12 फिट का मध्य मे रास्ता नजरी नक्सानुसार रहेगा। तहसीलदार जायल को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण पुश्तैनी खेर की भूमि हक त्याग द्वारा अन्तरण का होने से आवश्यक स्टाम्प शुल्क वादी द्वारा कार्यालय उपपंजीयक जायल में जमा कराने पर अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। नजरी नक्सा निर्णय एवं डिक्री आदेश का अभिन्न भाग रहेगा।

(सुनिल कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

फीस – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13/6/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर० तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(सुनिल कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:26:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by Scanner Go